

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क्र.डी 244/1687/99/पी.डबल्यू.सी./चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11.2.2000

आयुक्त,  
रीवा संभाग,  
रीवा, म.प्र.

विषय:- पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण।

संदर्भ:- आपका ज्ञाप क्र. 5/सा/2/99/8232, दिनांक 29.11.99.

उपरोक्त विषयक संदर्भित ज्ञापन का कृपया अवलोकन करें।

2 आदेशानुसार अवगत कराया जाता है कि डायज नॉन की सीमा अधिकतम 5 वर्ष ही मान्य की जाये, क्योंकि म.प्र. अवकाश नियम के नियम-11 के अनुसार 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में डायज नॉन की सीमा 5 वर्ष ही रखा जाना उचित है।

हस्ता/-  
(एम.पी. व्यास)  
अवर सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र.डी 245/1687/99/पी.डबल्यू.सी./चार

भोपाल, दिनांक 11.2.2000

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
2. समस्त संभागीय आयुक्त (रीवा के अतिरिक्त) को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. संचालक कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि सभी संयुक्त संचालकों को अवगत करायें।

हस्ता/  
(एम.पी. व्यास)  
अवर सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग